कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः-1357 /FP/UK/SCH/40755/2019 दिनॉकःदेहरादून 12 नवम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः- देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋशिकेष के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29-06-2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 29-06-2021** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1337/12-1 (2) दिनांक 23.11.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	विद्यालय भवन निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में प्रमाण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के वर्तमान भवन का निर्माण आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) द्वारा करवाया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) को राज्य सरकार द्वारा यह भूमि वर्श 1964 में प्रदान की गयी थी। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा उसी समय आवष्यकता के अनुसार आवासीय कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, स्कूल एवं अन्य सामाजिक संस्था के लिए भवन का निर्माण तत्कालीन वन अधिनियम के तहत किया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा तत्समय उक्त केन्द्रीय विद्यालय को परियोजना विद्यालय (Project school) के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। वर्श 2001 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के वित्तीय संकट के कारण उक्त विद्यालय को बंद कर दिया गया था, परन्तु जन आन्दालनों एवं जनता के दबाव के कारण वर्श 2003 में पुनः सिविल सेक्टर के तहत इस विद्यालय को खोला गया था, तब से आज तक यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अन्तर्गत उक्त भूमि पर ही संचालित हो रहा है।
2	तत्समय विद्यालय निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गयी थी, अतः राज्य शासन द्वारा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रेशित किये जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा वर्ष 1978 में उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर भूमि दी गयी थी। वर्तमान में इसी भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्ररस्ताव विचाराधीन है। तत्समय प्रष्नगत विद्यालय निर्माण के दृष्टिगत आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा मानचित्र प्रदान किया गया था **(छायाप्रति संलग्न)**। इसके अतिरिक्त अवगतनीय है कि वर्तमान में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) तथा केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालय में अभिकथित भूमि/विद्यालय भवन निर्माण

		से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
3	यदि पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्मस (1.62 है0) से अधिक क्षेत्र की आवष्यकता हो तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह षेश भूमि हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करने का कश्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय जो आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 2.41 है0 है। वर्तमान भूमि ही उक्त विद्यालय भवन के लिए सर्वदा उपयुक्त है एवं इसका क्षेत्रफल केन्द्रीय विद्यालय संगठन के न्यूनतम भूमि की मांग (अर्वन क्षेत्र के लिए 5 है0) को पूरा करता है। संज्ञानार्थ है कि 1.62 है0 में उक्त विद्यालय भवन का प्रस्तावित निर्माण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

पत्रांक 1357 / FP/UK/SCH/40755/2019 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1337/12–1 (2) दिनांक 23.11.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

O/C